मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में

मध्यस्थता माता-पिता के निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली के लिए अधिकार को अस्वीकार या विलम्बित नहीं कर सकती।

मध्यस्थता के लिए अनुरोध निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली के लिए निवेदन करने से पहले *या* उसी समय किया जा सकता है।

मध्यस्थता में प्रशिक्षित एक प्रशासकीय विधि न्यायाधीश सत्र का संचालन करता है।

अटॉर्नी या वकील मध्यस्थता सत्र में हिस्सा ले सकते हैं।

मध्यस्थता के फलस्वरूप हुए समझौतों को लिखित में रखा जायेगा और वे सभी प्रतिभागियों के द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान हुई सभी चर्चाओं को गोपनीय रखा जाता है।

और अधिक जानकारी चाहिए? निम्नलिखित संसाधन शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में माता-पिता के अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करते हैं:

- स्थानीय इनफेंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम सेवा संयोजक
- स्थानीय वकालत सम्बन्धी संस्थायें, जैसे कि:

  Advocates for Children and Youth, (410) 547-9200

  Family Support Network for Infants and Toddlers With Special Needs, (410) 767-0652, (800) 535-0182

  Maryland Disability Law Center, (410) 235-4700, (800) 233-7201; TTY: (410) 235-4227

  University of Maryland School of Law General Practice Clinic, (410) 328-3295
- मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग

  विशेष शिक्षा/ शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन
  Maryland Infants and Toddlers Program
  200 West Baltimore Street; Baltimore, MD 21201
  (410) 767-0261 फोन • (800) 535-0182 टोल फ्री फोन
  (410) 333-8165 फैक्स • (410) 333-0731 TDD

Robert L. Ehrlich, Jr.
गवर्नर

Edward L. Root
अध्यक्ष, मैरीलैंड राज्य शिक्षा बोर्ड

Nancy S. Grasmick
राज्य स्कूल अधीक्षिका

Carol Ann Baglin
सहायक राज्य अधीक्षक
विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग, रोजगार को प्रभावित करने वाले मामलों में या कार्यक्रमों के लिए सुलभता प्रदान करने में नस्ल, रंग, लिंग, आयु, राष्ट्रीय मूल, धर्म या विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं करता। विभागीय नीति से सम्बन्धित पूछताछ के लिए, कृपया समानता आश्वासन और अनुपालन (इक्विटी अश्युरेंस एण्ड कम्पलायंस) शाखा को 410-767-0246 फोऩ 410-333-2226 फैक्स़ अथवा 410-333-6442 TDD पर सम्पर्क करें।◆ यह दस्तावेज यू. एस. शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा और पुनर्वासीय सेवाओं के कार्यालय, IDEA भाग सी, अनुदान #H181A020124 से प्राप्त निधियों से विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के डिवीजन के द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया।◆ इसमें व्यक्त विचार आवश्यक रूप से यू. एस. शिक्षा विभाग अथवा अन्य किसी संघीय संस्था के विचारों को परिलक्षित नहीं करते और इन्हें उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।◆ यह जानकारी कॉपी राइट से मुक्त है। पाठकों को इसकी प्रतियां बनाने और इसे बांटने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, परन्तु कृपया मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन को श्रेय दें।◆ अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज ऐक्ट (ADA) के अनुसार यह दस्तावेज, अनुरोध पर, वैकल्पिक प्रारूपों में उपलब्ध है। मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन को 410-767-0261 फोऩ 410-333-2661 फैक्स़ 410-333-0731 TDD पर सम्पर्क करें।

3/04

शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में मध्यस्थता

मैरीलैंड राज्य शिक्षा विभाग
विशेष शिक्षा/शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें डिवीजन
मैरीलैंड इनफेंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम

Hindi

कभी-कभी, सेवा प्रदाता और माता-पिता शीघ्र हस्तक्षेप व्यवस्था में परिवार की भागीदारी के कुछ पहलुओं के बारे में असहमत होते हैं, इनमें शामिल हैं:

- पात्रता/योग्यता का निर्धारण
- बच्चे का मूल्यांकन या असेसमेन्ट
- पात्र/योग्य शिशु या टोडलर के लिए सेवाओं का प्रावधान
- शीघ्र हस्तक्षेप सेवाओं के लिये माता-पिता का वित्तीय दायित्व

जब ऐसा होता है, तो बातचीत मुश्किल बन सकती है और संबंधित पक्ष पारस्परिक रूप से सहमति योग्य निर्णय पर पहुँचने में स्वयं को असमर्थ पा सकते हैं।

माता-पिता की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए एक विकल्प निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य प्रणाली है — एक अधिकारिक प्रक्रिया जिसमें प्रशासकीय विधि न्यायाधीशों के द्वारा, सुनवाई पर पेश किये गये साक्ष्यों पर आधारित निर्णय की ज़रूरत होती है। इस विकल्प पर और अधिक जानकारी के लिए मैरीलैंड इनफेंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम से उपलब्ध *इमपार्शल कम्प्लेंट रेजोल्यूशंस प्रोसीजर्स (निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणालियां)* नामक पुस्तिका का सन्दर्भ लें।

मध्यस्थता, माता-पिता के द्वारा दर्ज शिकायतों के समाधान के लिए एक कम औपचारिक विकल्प है। यह खुली बातचीत के माध्यम से परस्पर समस्या सुलझाने पर ध्यान केन्द्रित करती है, जो माता-पिता और सेवा प्रदाताओं के बीच कार्य सम्बन्धी रिश्तों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। मध्यस्थता पूरी तरह से स्वैच्छिक है — माता-पिता को औपचारिक निषपक्ष शिकायत समाधान कार्य प्रणाली के बजाय, या उसके अलावा, मध्यस्थता सत्र के लिए अनुरोध करने का अधिकार है।

मध्यस्थता, विवाद से संबंधित पक्षों को एक निष्पक्ष प्रशिक्षित मध्यस्थ के मार्गदर्शन में एक साथ आने को सम्भव बनाती है। मध्यस्थ चर्चा को उन मुद्दों पर केन्द्रित रखता है जो परिवार और सेवा प्रदाता को अलग करते हैं। दोनों पक्षों को तथ्य और विचार प्रस्तुत करने की अनुमति होती है, फिर मध्यस्थ उस समझौते को सुगम बनाता है जो बच्चे और परिवार के सर्वोत्तम हित में हो।

हालांकि यह सुनिश्चित करना मध्यस्थ का ध्येय है कि बच्चे को समुचित शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें प्राप्त हों, परन्तु माता-पिता और सेवा प्रदाताओं को साथ में मिलकर उस निर्णय पर पहुँचने के लिए कोशिश करनी चाहिये जिसे नेकनीयत से लागू किया जा सके।

यदि मध्यस्थता के फलस्वरूप कोई समझौता हो जाता है, तो उस समझौते को लिखा जाता है और सभी प्रतिभागियों के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।

यदि समझौता नहीं हो पाता, तो माता-पिता के पास अभी भी निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली के लिए अनुरोध करने का अधिकार है।

किसी भी हालत में, मध्यस्थ और सभी संबंधित पक्ष मध्यस्थता सत्र की गोपनीयता बनाये रखते हैं।

मध्यस्थता के लिए अनुरोध करने हेतु, माता-पिता:

- प्रशासकीय सुनवाईयों के मैरीलैंड कार्यालय में *शीघ्र हस्तक्षेप मध्यस्थता (अर्ली इन्टरवेंशन मीडिएशन) हेतु आवेदन* दर्ज कर सकते हैं। माता-पिता और सेवा प्रदाताओं को पारस्परिक रूप से सहमति योग्य निर्णय पर पहुँचने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलब्ध हैं।

अथवा

- निष्पक्ष शिकायत समाधान कार्य-प्रणाली से पहले मध्यस्थता सत्र के लिए अनुरोध करते हुए एक लिखित शिकायत मैरीलैंड इनफेंट्स एण्ड टोडलर्स प्रोग्राम को भेजें।

चूंकि बच्चे की भलाई मुख्य चिन्ता है, इसलिए शीघ्र हस्तक्षेप सेवायें परिवार के द्वारा शुरू की गयी शिकायतों या कार्य प्रणालियों के द्वारा विलम्बित या बीच में रोकी नहीं जायेंगी।